



दिनांक- 13.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 वारण्टी अभियुक्तों 1. अफजाल पुत्र रफीक उर्फ टाण्डा निवासी व थाना मिर्जापुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 3390/19 धारा 3/5/8सीएस एक्ट 2. इकबाल उर्फ बाल पुत्र साकी निवासी ग्राम महमूदपुर मिर्जापुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 2832/2023 मु0अ0स023/1995 धारा 379/411 भादवि 3. इमरान पुत्र इलियास निवासी ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 935/22 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के नाम व पता -

1. अफजाल पुत्र रफीक उर्फ टाण्डा निवासी व थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
2. इकबाल उर्फ बाल पुत्र साकी निवासी ग्राम महमूदपुर मिर्जापुर सहारनपुर।
3. इमरान पुत्र इलियास निवासी ग्राम महमूदपुर मिर्जापुर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का0 2418 योगेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 13-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सुमित उर्फ बिट्टू पुत्र जगीर निवासी ग्राम डबकोला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0 961/22 धारा 125(3) द0प्र0स0 में उसके घर ग्राम डबकोला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुमित उर्फ बिट्टू पुत्र जगीर नि0 ग्राम डबकोला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 रामकिशन राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



दिनांक:- 13.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अवैध हथियारों के कारोबार की रोकथाम तथा इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त आयान पुत्र श्री जुमशेद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को नकुड़ रोड़ हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0- 36/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व जो 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस पुलिस टीम द्वारा आज मुझसे बरामद किया है वो तमंचा मुझे खेत में पड़ा मिला था व 01 जिन्दा कारतूस भी तमंचे की नाल में था तभी से मैं तमंचा रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आयान पुत्र श्री जुमशेद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राजीव कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- हे0का0 1050 नीतीन कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सुदा पुत्र अब्दुल मजीद मौ० आली की चुंगी थाना मण्डी, सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 9383/2023 धारा 323/506 भादवि चालानी थाना मण्डी मा० न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर में नियत दिनांक 13.02.2024 को मौ० आली की चुंगी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुदा पुत्र अब्दुल मजीद मौ० आली की चुंगी थाना मण्डी स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का० 165 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का० 1802 बिट्टू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, 02

अपहर्ताओ को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग पुत्री तथा नाबालिग भतीजी को अभियुक्त मोबीन द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 18/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अपहर्ताओ की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 वांछित अभियुक्तगण 1. मोबीन पुत्र शौकत अली नि0 ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर व 2. अमरदीप पुत्र ओविन्द्र नि0 डिंडाली थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया। दोनो अपहर्ताओं को सकुशल बरामद कर किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मोबीन पुत्र शौकत अली नि0 ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. अमरदीप पुत्र ओविन्द्र नि0 डिंडाली थाना झिंझाना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0कां0 113 विकास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
5. म0का0 845 ममता थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बेचने वाले 01 दुकानदार को 1.030 किलोग्राम प्रतिबंधित चाईनीज मांझा चरखी-02 बंडल सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार नि० मौ० खलासी लाईन नेहरु नगर टौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को शारदानगर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1.030 किलोग्राम प्रतिबंधित चाईनीज मांझा चरखी 2 बंडल हीरो प्लस फार इंडस्ट्रियल यूज आनली बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 29/2024 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रह है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार नि.स.सहारनपुर मौ० खलासी लाईन नेहरु नगर टौक थाना सदर बाजार जनपद 0

बरामदगी का विवरण:-

1.030 किलोग्राम पतंग का प्रतिबंधित चाईनीज मांझा चरखी 2 बंडल हीरो प्लस फार इंडस्ट्रियल यूज आनली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- व०उ०नि० श्री बचन सिंह अत्री थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- उ०नि० श्री सचिन पूनियां थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है०का० 640 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- है०का० 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- मु०अ०सं० 29/2024 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम थाना कुतुबशेर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ़ एन्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले 01
मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, महिलाओं सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना बिहारीगढ़ एन्टीरोमियो टीम द्वारा दून प्राइड स्कूल के सामने रास्ते पर आती जाती महिलाओं को देखकर अश्लील फब्तिया कसने वाले **01 शातिर मनचले अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को दून प्राइड स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 13/2024 धारा 294 भादवि के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
2. म0का0 213 ज्योति थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
3. म0का0 1319 आरती थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ़ एन्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले 01
मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, महिलाओं सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना बिहारीगढ़ एन्टीरोमियो टीम द्वारा बुग्गावाला तिराहा मस्जिद वाली गली के सामने आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले **अभियुक्त सनव्वर पुत्र अजीज नि0 ग्राम टाण्डामान सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को बुग्गावाला तिराहा मस्जिद वाली गली के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 14/2024 धारा 294 भादवि के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सनव्वर पुत्र अजीज नि0 ग्राम टाण्डामान सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
2. म0का0 213 ज्योति थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।
3. म0का0 1319 आरती थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दो अदद चाकू नाजायज बरामद होना

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर **अभियुक्तगण 1. अश्वनी उर्फ सोना पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार सहारनपुर व 2. गुलाब नवी पुत्र मौ0 अब्बास नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सनसाइन स्कूल के पास, बन्द पडी दुकान के खण्डहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 चाकू नाजायज बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं063/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर एक साथ बताया गया कि हम दोनो लोगों पर रौब जमाने व लोगो को डराने के लिए अपने पास चाकू रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अश्वनी उर्फ सोना पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. गुलाब नवी पुत्र मौ0 अब्बास नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

02 चाकू नाजायज बरामद

अभियुक्त अश्वनी उर्फ सोना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 422/23 धारा 4/25 आयूध अधिनियम थाना सदर बाजार

मु0अ0सं0 63/24 धारा 4/25 आयूध अधिनियम थाना सदर बाजार

2- गुलाब नवी पुत्र मौ0 अब्बास नि0 फत्तेहपुर जट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

मु0अ0सं0 63/24 धारा 4/25 आयूध अधिनियम थाना सदर बाजार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार
2. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार



-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 2 घण्टे में मोबाइल फोन लूट कर भागने वाला 01 शातिर लूटेरा/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.02.2024 को वादी सलमान पुत्र मेहरबान नि० खान आलम पुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा कमला चौराहा से वादी मुकदमा का मोबाइल फोन छीन लेने के संबंध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं०- 40/24 धारा 392 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सावेज पुत्र इमरान उर्फ इकराम निवासी रहमानी चौक गली न० 10 थाना कुतुबशेर सहारनपुर को आजाद कालोनी तिहारा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गया MI-6 मोबाइल फोन बरामद किया गया। तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटसाइकिल न० HR02Z0654 इन्जन न० JZUBUC72139 चोसिस MD2DSJZZZUPC49629 को अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सावेज उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोबाइल अभी कुछ देर पहले कमला चौराहे पर ई- रिक्षा में बैठ कर जा रहे एक व्यक्ति से छीना था मोबाइल छीनकर मैं मण्डी समिति की तरफ भाग गया था जो आप लोगों को मेरे पास से मिला है। मोबाइल को बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अपने शौक पूरा कर लेता। और यह मोटरसाइकिल मैंने थाना कुतुबशेर क्षेत्र से कुछ दिनों पर चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

1. सावेज पुत्र इमरान उर्फ इकराम निवासी रहमानी चौक गली न० 10 थाना कुतुबशेर सहारनपुर

अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 203/2022 धारा 13 जुआ अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 205/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 40/2024 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है०का० 663 बालेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक – 13.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या-11, सहारनपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.05.2013 को वादी उ०नि० श्री राजीव कुमार त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1- मौ० अली पुत्र नन्हाअली नि० खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर व 2- हनीफ शेख पुत्र शमसूदीन नि० उदितनगर थाना सोनी जनपद मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) के द्वारा नकली नोटों को असली नोटों के रूप में चलाना तथा अभियुक्त मौ० अली से 07 हजार रू० व हनीफ 06 हजार रू० नाजायज बरामद होने की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 156/2013 धारा 489(ग) भादवि के पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 125/2014 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 13.02.2024 को अभियुक्त 1-मौ० अली पुत्र नन्हाअली 2- हनीफ शेख पुत्र शमसूदीन को मु०अ०सं० 156/2013 धारा 489(ग) भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्री अमित त्यागी

विवेचक उ०नि० श्री सुभाष शर्मा विवेचक

पैरोकार का० 2328 कौशल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर